आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 977/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच. डी. एफ. सी. बैंक लि., सी–25, भगवन्त दास रोड़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. स्वर्गीय श्री गोविन्द गोपाल छाबड़ा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र छाबड़ा जरिये विधिक वारिसान–
   i. श्रीमती सीमा छाबड़ा पत्नी स्व. श्री गोविन्द गोपाल छाबड़ा,
   ii. श्री जगदीश चन्द्र छाबड़ा पिता स्व. श्री गोविन्द गोपाल छाबड़ा,
   iii. श्रीमती प्रकाश देवी माता स्व. श्री गोविन्द गोपाल छाबड़ा,
   iv. सुश्री यशिका छाबड़ा पुत्री स्व. श्री गोविन्द गोपाल छाबड़ा,
   v. श्री यश छाबड़ा पुत्र स्व. श्री गोविन्द गोपाल छाबड़ा,

   पताः– सम्राट–11, फ्लेट नं. जी–2, प्लॉट नं. 58, अशोक नगर, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित:–

1. श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांकः 11.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी स्व. श्री गोविन्द गोपाल छाबड़ा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र छाबड़ा जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की संपत्ति सम्राट–11, प्लॉट नं. 58, अशोक नगर, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर में भूतल पर स्थित फ्लेट नं. जी–2, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 08.04.2011 को राशि 08,58,714/– रूपये, दिनांक 28.10.2016 को राशि 05,00,000/– रूपये, कुल राशि 13,58,714/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.04.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भंलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 13,58,714/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 17,51,349/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.04.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी स्व. श्री गोविन्द गोपाल छाबड़ा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र छाबड़ा जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति सम्राट–11, प्लॉट नं. 58, अशोक नगर, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर में भूतल पर स्थित फ्लेट नं. जी–2, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 11.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर